स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश, भारत

प्रमाणपत्र संख्या: 20189993008

विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र









प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017 के अधीन विवाह पंजीकरण हेतु: श्री मनजीत सिंह, जन्मतिथि 01/08/1990, आयु 27 वर्ष, आत्मज: राजेन्द्र सिंह, निवासी 01 जसवन्तपुर नजीबाबाद-बिजनौर, उत्तर प्रदेश, 246763

संग सुश्री हीना देवी, जन्मतिथि 01/11/1992, आयु 25 वर्ष , W/O मनजीत सिंह, निवासी डी-12 चीनी मिल, जसवंतपुर चन्दनपुरा नजीबाबाद - बिजनौर, उत्तर प्रदेश, 246763

के द्वारा अपने विवाह के पंजीकरण हेतु दिनाँक 16/07/2018 को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमे यह घोषणा की गयी है कि उनके मध्य विवाह दिनांक 06/02/2018 को स्थान तहसील- नजीबाबाद, जनपद- बिजनौर, उत्तर प्रदेश पर संम्पन्न हुआ है।

यह विवाह उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 के अन्तर्गत क्रमांक 3008 दिनांक 16/07/2018 को पंजीकृत किया गया है।

विवाह पंजीकरण अधिकारी उत्तर प्रदेश

नोट:- उक्त प्रमाणपत्र वैबसाइट प्रणाली द्वारा स्वत: जिनत है।इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस प्रमाणपत्र का सत्यापन, प्रमाणपत्र संख्या के आधार पर स्टाम्प एवं निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, भारत की विभागीय वेबसाइट www.igrsup.gov.in पर किया जा सकता है।

-

प्रमाणपत्र संख्या: 20189993008

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश, भारत

विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र









प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017 के अधीन विवाह पंजीकरण हेतु: श्री जयदेव दुबे, जन्मतिथि 12/05/1989, आयु 29 वर्ष , सामाला दुबे, निवासी 159 रामपुर रामपुर रामपुर-जौनपुर, उत्तर प्रदेश, 222203

संग सुश्री संध्या दूबे, जन्मतिथि 15/01/1996, आयु 22 वर्ष , अर्धांगिनी: जयदेव दूबे, निवासी रामपुर - जौनपुर, उत्तर प्रदेश, 222203

के द्वारा अपने विवाह के पंजीकरण हेतु दिनाँक 16/07/2018 को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमे यह घोषणा की गयी है कि उनके मध्य विवाह दिनांक 18/02/2018 को स्थान तहसील- शाहगंज, जनपद- जौनपुर, उत्तर प्रदेश पर संम्पन्न हुआ है।

यह विवाह उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 के अन्तर्गत क्रमांक 3008 दिनांक 16/07/2018 को पंजीकृत किया गया है।

विवाह पंजीकरण अधिकारी

उत्तर प्रदेश

नोट:- उक्त प्रमाणपत्र वैबसाइट प्रणाली द्वारा स्वत: जिनत है।इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस प्रमाणपत्र का सत्यापन, प्रमाणपत्र संख्या के आधार पर स्टाम्प एवं निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, भारत की विभागीय वेबसाइट www.igrsup.gov.in पर किया जा सकता है।